महाराष्ट्र राज्य व अन्य

बनाम

रघुनाथ गजानन वायंगणकर

6 अगस्त 2004

(आर.सी. लाहोटी, सी.जे. और जी.पी. माथूर, जे.)

गोवा स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना-प्रतिवादी का आवेदन राज्य सरकार द्वारा खारीज-चुनौती- उच्च न्यायालय ने मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया-जिला गौरव समिति/पेंशन देने के लिए समिति की सिफारिशें-राज्य सरकार ने दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि समिति ने अपनी बाद की बैठक में इसे खारिज कर दिया था। चुनौती दी गई-उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई- राज्य सरकार को पेंशन स्वीकृत करने और बकाया भुगतान करने का निर्देश-अपील पर निर्धारित: प्रतिवादी का मामला जिसकी समिति ने अपनी पिछली बैठक में सिफारिश की थी, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया था। पिछली बैठक की कार्यवाही पर केवल इसके अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर- हालांकि, बाद की बैठक के कार्यवाही सभी सदस्यो द्वारा हस्ताक्षरित और कलेक्टर द्वारा अनुमोदित, इसलिए समिति द्वारा अपनी पिछली बैठक की कार्यवाही के अनुसार पारित प्रस्ताव पर कार्यवाई नही की जा सकती थी-रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने गलती की। उच्च न्यायालय द्वारा जिन

आवश्यकताओ को पूरा करने पर ही प्रतिवादी को पेंशन देने का दावा निर्धारित किया जा सकता था उनके सम्बन्ध में अनदेखी की गई-इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया और राज्य सरकार के फैसले को बहाल कर दिया गया - भारत का सविधान 1950, अनुच्छेद 226।

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र -चर्चा का दायरा।

उत्तरदाता ने खुद को स्वतन्त्रता सेनानी बताते हुए गोवा स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन किया। उन्होने कहा कि उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था, बाएं कंधे पर दागदार गोली की चोट। हालाँकि, इसके समर्थन में प्राथमिक सबूत उपलब्ध नही थे और इसलिए उन्होने गोवा विमोचन समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र और समाचार पत्रों की रिपोर्टों की कुछ कटिंग पर भरोसा किया। राज्य सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए। अपने दावे पर पुनर्विचार का आवहान किया। इसी बीच उत्तरदाता ने मुम्बई उपनगर जिला गौरव समिति से सम्पर्क कर, राज्य सरकार को पेंशन के लिए अपने मामले की सिफारिश करने का आग्रह किया। समिति ने 30 अगस्त 2002 के अपने प्रस्ताव के माध्यम से सिफारिश की। हालाँकि, अपीलकर्ताओ ने समिति के एक अन्य प्रस्ताव दिनांक 2 सितम्बर 2002 जिसके तहत प्रत्यर्थी का मामला समिति

द्वारा खारिज किया गया था को रिकॉर्ड पर दर्ज कराया। एक बार फिर राज्य सरकार द्वारा इस आधार पर कि पेंशन देने के लिए निर्धारित मानदण्ड नही थे खारजि कर दिया। प्रत्यर्थी ने इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, और उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पेंशन एवं बकाया भूगतान प्रत्यर्थी को देने का निर्देश दिया। इसलिए यह अपील राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई।

न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया गया:-

1.1 समिति की बैठक दिनांक 27 अगस्त 2002 की कार्यवाही पर केवल अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि सितम्बर 2002 की कार्यवाही पर उसी समिति के न केवल अध्यक्ष, बल्कि समिति के सभी सदस्यो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जिसके जवाब में समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए और फिर कलेक्टर द्वारा अपने समझौते और प्रस्ताव के अनुमोदन के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए। 2 सितम्बर 2002 तक दर्ज और हस्ताक्षरित बैठको के आलोक में 30 अगस्त 2002 तक के प्रस्तावो पर कार्यवाही नही की जा सकती थी। (368 सी.डी.एल)

1.2. आम तौर पर उच्च न्यायालय रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नही कर सकता कि वह साक्ष्य का पुनर्मल्यांकन करें और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निष्कर्षो को उलट दें। जब तक कि वे विकृत न हों।

यदि उच्च न्यायालय यह पाया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण था तो उच्च न्यायालय को आवश्यक सिद्धान्तो या दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने या निर्देश जारी करने के बाद निर्देश देना चाहिए था।

किसी भी मामले में उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए छुट दे सकता था स्वतन्त्रता के विमोचन के लिए, केवल प्रत्यर्थी की पात्रता की पूर्ति पर आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि की आवश्यकता योद्धाओ की पेंशन पर निर्भर थी। (371-बी, सी, डीआई)

1.3. उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया गया और निर्णय शज्य सरकार के निर्णय को बहाल किया गया। (371. ई,)

मुकुंद लाल भंडारी बनाम भारत संघ और अन्य 1993, पूरक। 3 एससीसी 2 और गुरदियाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य।; 2001 8 एससीसी 8 संदर्भित को।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 995/2004

बॉम्बे हाई कोर्ट के रिट याचिका संख्या 2249/2003 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.10.2003 से उत्पन्न।

अपीलार्थियों की ओर से एच डब्ल्यू ढबेए एस एस शिंदे और मुकेश के गिरि।

उत्तरदाता के लिए ए एस भास्मे।

न्यायालय का निर्णय आर सी लाहोटी सीजे द्वारा दिया गया था महाराष्ट्र राज्य इसके प्राधिकरण और स्वतंत्रता सेनानी उच्च शक्ति समिति हमारे समक्ष अपीलकर्तो मुंबई में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश से व्यथित हैं जिसमें एकमात्र प्रतिवादी द्वारा दायर एक रिट याचिका को अनुमति दी गई है और अपीलकर्ताओं को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है।

प्रत्यर्थी स्वयं को एक स्वतंत्रता सेनानी होने का दावा करता है जिसका वह हकदार है सरकार के अनुसार पेंशन और अन्य विशेषाधिकारों को मान्यता और जारी करना। संकल्प सं पी.ओ.एस 1093/सी नम्बर 127/एफ.एफ.एस डेस्क मंत्रालय मुंबई दिनांक 4 जुलाई 1995 जो अपने बदले में 6 अन्य सरकारों को संदर्भित करता है।

10 अगस्त 1970 और 5 अगस्त सितम्बर 1992 के बीच की अवधि मे प्रस्ताव पारित किए गए। वे विवरण जो हमारे उद्धेश्य के लिए आवश्यक नही है। प्रतिवादी के अनुसार, उन्होने गोवा मुक्ति में भाग लिया था, और उसमें उन्हें बाए कन्धे पर चोट लगी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी के दावे की पुष्टि करने वाला प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नही था और इसलिए वह गोवा विमोचन समिति के एक प्रमाण पत्र और समाचार पत्रो की रिपोटो की कुछ कटिंग पर निर्भर था। प्रतिवादी का दावा राज्य सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। प्रतिवादी ने एक रिट याचिका दायर की। मुम्बई

के उच्च न्यायालय में जो 11 तारीख के अपने आदेश द्वारा जुलाई 2002 में रिट याचिका संख्या 1636/2002 में कुछ निर्देश जारी किए गए। प्रत्यर्थी के मामले पर पुनर्विचार करने का आव्हान करना। एक बार फिर प्रतिवादी का मामला 23 जुलाई 2003 को राज्य सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया है।

सरकार ने यह राय व्यक्त की कि 4 जुलाई 1995 के सरकारी प्रस्ताव द्वारा निर्धारित मानदण्ड प्रतिवादी के मामले में लागू नही थे और इसलिए गोवा स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन को लागू करने में उसे अनुमत नही किया जा सकता था।

राज्य सरकार के आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। अपने विवादित आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय ने मुकुंद लाल भंडारी बनाम भारत संघ और अन्य 1993 पूरक 3 एस.सी.सी 2 और गुरदयाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य 2001 (8) एस.सी.सी 8 के मामलो पर भरोसा रखा। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि एक उदार दृष्टिकोण अपनाकर स्वतन्त्रता की मंजूरी के लिए प्रत्यर्थी की पात्रता योद्धाओ की पेंशन को बरकरार रखा जाना चाहिए था। परमादेश रिट के अनुसार जारी किया गया।

अनुभाग अधिकारी जिनकी रिपोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है, ने 21 जुलाई 2003 के अपने विस्तृत नोट में अन्य बातो के साथ-साथ निम्नानुसार कहा है

> ''गोवा मुक्ति में भागीदारी के प्रमाण के रुप में, आंदोलन आवेदक को प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है, गोवा विमोचन समिति ने अपनी सूची सरकार को भेज दी है जिसमें आवेदक का नाम है, उन्होने शरी नारायण सोमन और शरी गोविन्दराव माल्शे से प्रमाण पत्र जमा किए है और अपने दस्तावेजो पर दावा भी किया है। हल्फनामा दे कि एक गोली उनके कंधे पर लगी थी। कलेक्टर को इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेना आवश्यक है। उनके 28 जून 2003 के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिला गौरव समिति ने पेंशन की मंजूरी के लिए मामले की सिफारिश की है। हालाँकि आवेदक ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। इसलिए पेंशन स्वीकार नही की जा सकती है''

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी अपने अधिकार के बारे में राज्य सरकार को संतुष्ट करने के लिए साक्ष्य/साम्रगी एवं अपेक्षित राषि एकत्र करने में सक्षम नही था और इसलिए, उन्होने मुम्बई उपनगर जिला गौरव समिति (यहाँ) से सम्पर्क किया।

संक्षेप में जिला समिति के बाद राज्य सरकार को अपने मामले की सिफारिश करने के उद्धेश्य से इसकी सही स्थिति और अधिकार क्या है अर्थात जिला समिति बहुत स्पष्ट नही है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जिला समिति की राज्य बनाम के मामलो की प्रक्रिया के मामले में कुछ भूमिका है। स्वतन्त्रता सेनानियो से इस जिला समिति ने प्रत्यथी द्वारा सम्पर्क किए जाने पर एक जांच की और 27 अगस्त 2002 की अपनी बैठक में इस पर विचार करने के बाद एक प्रस्ताव (अनुलग्नक पी 4) पारित किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्ताव की गई साम्रगी और फिर निश्कर्षो को निम्नानुसार दर्ज किया गया :-

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिषा-निदेर्षो के आधार पर उक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजो पर विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया जा रहा है।

1. ठोस साक्ष्य के सम्बन्ध में आवेदक का प्रस्तुतिकरण स्वीकार्य है।

2. उक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत घटना के सन्दर्भ में साक्ष्य ठोस है। और उन्हे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रुप में गलत समझा गया।

3. आवेदक की आयु 76 वर्ष की है। आवेदक की वितीय स्थिति गम्भीर है और विकलांग शारीरिक स्थिति वास्तविक तथ्य है

इन परिस्थितियो में आवेदक को अन्याय से बचाने के लिए और उसे स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन देने के लिए उसके आवेदन की सिफारिश की जाती है।

बैठक के कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर 30 अगस्त 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे। हालाँकि अपीलकर्ता एक और प्रस्ताव रिकार्ड पर लाए है। उसी समिति (परिशिष्ट पी -9) की तारीख 2 सितम्बर 2002 जो निम्नानुसार है :

श्री आर.जी. बैनगंकर ने स्वतन्त्रता सेनानी के लिए पेंशन आवेदन किया है। आवेदन के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजो के साथ उन्होने कहा कि उन्होने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था। हालाँकि उन्होने अपनी पुष्टि करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नही किया है। District Felicitation Committee (जिला गौरव समिति) ने मामले को खारिज कर दिया।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष (जेड. जी. एस.) और सदस्य

अधोहस्ताक्षर

सचिव, जेडजीएस (आरडीसी)

मैं जेडजीएस की राय से सहमत था जैसा कि सरकार के संकल्प दिनांक 4 जुलाई 1995 के अनुसार दावे में कोई संतोषजनक साक्ष्य नही था मामला खारिज किया जा चुका है।

हस्ताक्षर

कलेक्टर

मुम्बई उपनगर जिला

अनुलग्नक पी 4 और अनुलग्नक पी 9 दस्तोवजो को एक साथ पढने पर समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और फिर कलेक्टर द्वारा अपने समझौते और अनुमोदन के माध्यम से जिला समिति का संकल्प हस्ताक्षरित करना। 2 सितम्बर 2002 तक दर्ज और हस्ताक्षरित कार्यवाही के आलोक में और 30 अगस्त 2002 तक के कार्यवाही को रिकॉर्ड पर लेने से कार्यवाही नही की जा सकती थी यह नही कहा जा सकता।

यह सत्य है कि गुरदयाल सिंह के मामले में इस अदालत ने परीक्षण के आधार पर विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता एवं सहानुभूति के साथ स्वतन्त्रता सेनानियो के दावे को निपटाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उचित सन्देह से परे और दृष्टिकोण संभावना के सिद्धान्त को लागू करके अधिकार को बनाए रखने के लिए होना चाहिए, ताकि स्वतन्त्रता सेनानियो की पीडा को कम कर सम्मान किया जा सके। हालांकि मुकुंद लाल भंडारी के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की बातो को नंदर अंदाज नही किया

जा सकता है और एक पूर्ण मंजूरी दी जा सकती है जिसके द्वारा इस न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रुप से निर्देश दिया कि :

जहाॅ तक प्रमाण की पर्याप्तता का सम्बन्ध है। योजना स्वयं उन दस्तावेजो का उल्लेख करता है। जिन्हें पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। सरकार ने दस्तोवज जो याचिकाकर्ताओ के अनुसार उन्होने स्टेट बनाम प्रस्तुत किया था। इस न्यायालय के लिए जांच करना संभव नही है।

उनके दावे के समर्थन में और उनके वास्तविकता पर उच्चारण करें। ऐसा करना सरकार का काम है इसलिए हम, ठीक उसी के अनुसार रिट अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय राज्य सरकार के निर्णय पर आम तौर पर अपीलीय प्राधिकरण की तरह निर्णय में नही बैठता है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण होने पर उच्च न्यायालय को आवश्यक सिद्धन्तो या दिषा निदेर्षो को निर्धारित करने के बाद या निर्देश जारी करते हुए, राज्य सरकार को प्रतिवादी के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। किसी भी मामले में उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पूर्ण संतुष्टि की आवश्यकता में ढील नही दे सकता था। आवश्यकताएँ जिनकी पूर्ति पर केवल स्वतन्त्रता सेनानी की पेंशन जारी करने के लिए प्रतिवादी की पात्रता थी।

उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार नही किया जा सकता है। अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त किया

जाता है और राज्य सरकार के निर्णय को बहाल किया जाता है। प्रत्यर्थी को नये सिरे से राज्य सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व आवेदन प्रस्तुत करने की छूट दी जाती है। राज्य सरकार को पुनर्विचार करने की स्वतन्त्रता है। लेकिन इस पर हम अपनी कोई राय व्यक्त नही करते है।

अपील का निपटारा बिना किसी कोस्ट के उपरोक्त शर्तो पर किया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीतू गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।